

**कार्यालय कलेक्टर बलौदावाजार-भाटापारा एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

--: अधिसूचना :-

क्रमांक/759/अ-82/2019-20/भू-अर्जन/2020 बलौदावाजार, दिनांक 22/10/2020

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि खोखली-ढावाडीह-पेण्डरी-देवरी मार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19(1)के तहत घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

--: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन :-

1. जिला - बलौदावाजार भाटापारा (छ.ग.)
2. तहसील - भाटापारा
3. ग्राम - पेण्डरी
4. भूमि का क्षेत्रफल - 0.700 हेक्टेयर

स.क्रं.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
1	404	0.397
2	78/3	0.105
3	78/2	0.056
4	484	0.049
5	471	0.093
योग :-	05	0.700

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सुनील कुमार जैन)

कलेक्टर,

जिला-बलौदावाजार-भाटापारा एवं पदेन
उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग



पृ.क्रमांक/769/अ-82/2019-20/भू-अर्जन/2020 वलौदावाजार, दिनांक 22/10/2020
प्रतिलिपि :-

1. डी.आई.ओ., एन.आई.सी. जिला कार्यालय वलौदावाजार को अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा उपलब्ध कराने वावत्।
2. तहसीलदार भाटापारा को अधिसूचना की प्रति तहसील कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, कार्यालय ग्राम पंचायत पेण्डरी, कार्यालय जनपद पंचायत भाटापारा में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने वावत्।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग-वलौदावाजार को उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र भाग-1 तथा दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर पेपर कतरन एवं राजपत्र की प्रति इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करें।

कलेक्टर,

जिला-वलौदावाजार-भाटापारा एवं पदेन
उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग